दुर्भाग्यवश पहले भी इस तरह के आक्रमण हो चुके हैं और इनमें से कई तो काफी कपटपूर्ण भी थे। शासन द्वारा सद्इच्छा से लेकिन पूर्णतया अव्यावहारिक कल्याण योजनाएं (डोंगरिया कौंध विकास एजेंसी जैसी संस्थाओं के माध्यम से) आदिवासियों को सभ्यता के लाभ प्रदान करने हेतु तैयार की गई हैं। यहां के बहुत कम गांवों में विद्यालय कार्यरत हैं। अतएव आदिवासी बच्चों को आश्रमशालाओं में भर्ती किया जाता है जहां पर उन्हें ओडिया भाषा में शिक्षा दी जाती है।

(5)

दै. देशबन्धु रायपुर 10.3.15 जबलपुर

डोंगरिया-कौंध आदिवासी समुदाय

सरकार विकास के अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे

■ आशीष कोठारी

"ओडिशा स्थित नियमगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाले डोंगरिया-कौंध आदिवासी समुदाय ने न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता को हाथ खींचने पर मजबूर कर दिया बल्कि उसकी पीठ पर हाथ रखने वाली सर्वशक्तिमान केंद्र व राज्य सरकारों को भी इस बात को बाध्य कर दिया कि वे विकास के अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें। आवश्यकता इस बात की है कि डोंगरिया कौंध व नागरिक समाज तथा सरकार के बीच सुविचारित साझेदारी हो जो कि इस बात का रास्ता खोजे कि उनके सामने प्रस्तुत कठिन डगर से वे कैसे पार पाएं। साथ ही वह बकाया विश्व को इस तरह से प्रेरित व शिक्षित करते रहें कि किस तरह अंततः प्रकृति की गोद में जीवन बिताया जा सकता है।"

नियमगिरी, जो कि इस इलाके में खनन पर उतारू बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता और डोंगरिया कौंध आदिवासी समूह के मध्य ऐतिहासिक संघर्ष का गवाह है, वहां पहली बार ही गया था। ओडिशा के विशाल व सघन जंगलों और जलधाराओं के बीच कृषि की पुरातन पद्धति अपनाने वाले डोंगरिया कौंध समुदाय को भारत का विशिष्ट संकटग्रस्त आदिवासी समूह पुकारा जाता है। पहले इन्हें आदिम कहा जाता था और ये सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक संकटग्रस्त समूह है। परंतु उनका अपना एक वैश्विक दृष्टिकोण है और उनके पास सहस्त्राब्दियों पुरानी पद्धतियां मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास ज्ञान का अकूत भंडार एवं प्रकृति से ऐसा जीवंत रिश्ता मौजूद है, जिसे अनेक कथित सभ्य लोग भूल चुके हैं। डोंगरिया कौंध उस सबका प्रतीक है, जिसे कि भारतीय राज्य एवं शहरी शिक्षित वर्ग इसलिए "पिछड़ा" कहता है क्योंकि उनके यहां साक्षरता व तकनीक का सामान्य स्तर अनुपस्थित है, वे झूम खेती करते हैं, जीववाद को मानते हैं, वहां अस्पताल और विद्यालयों का अभाव है, गांव पहुंचने के रास्ते कच्चे हैं, बिजली नहीं है, आदि-आदि। परंतु ऐसे तमाम चरित्रगत सारे मापदंडों को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने एक ऐसे निजी बहुराष्ट्रीय निगम पर विजय प्राप्त की है, जिसके पास सभी सभ्य शक्तियां मौजूद थीं। कुछ समय से हमारे कानों में पुनः यह बात पड़ रही है कि वेदांता कंपनी को उक्त आदेश को रद्द कराने की उम्मीद पुनः जग गई है, परंतु डोंगरिया कौंध सतर्क हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह अभी भी कंपनी को किसी भी तरह के खनन की अनुमति नहीं देंगे।

कुछ पारंपरिक एवं संघर्ष के नेताओं के साथ सुंदर स्थानों पर बसे अनेक डोंगरिया कौंध गांवों से गुजरते हुए महसूस हुआ कि खनन को अस्वीकार करने के पीछे उनके पास सशक्त आध्यात्मिक एवं औचित्यपूर्ण आधार मौजूद हैं। उस क्षेत्र के आध्यात्मिक स्रोत नियम राजा द्वारा बनाए गए नियमों में शामिल हैं। वनों एवं नदियों का संरक्षण बजाए व्यक्तिगत संपत्ति के संसाधनों का साझा स्वामित्व, श्रम एवं फलों की हिस्सेदारी व जैव संस्कृति उनके पास उपलब्ध धार्मिक एवं गैरधार्मिक तत्वों का गुलदस्ता है। इस तरह की स्थिति में खनन एवं बड़ी सड़कें और कारखाने जैसा विशाल आक्रामक विकास एक वर्जित शब्दभर है। लड्डोसिकाका, बारी पिडिकाका एवं डाधी पुसिकावेरे जैसे नेता इस बात को लेकर सुनिश्चित थे कि वे नियमगिरी को मुनिगुडा, रायागाधा और भुवनेश्वर जैसे शहर में परिवर्तित नहीं करना चाहते जहां पर कि बिना बीमार पड़े न तो आप पानी पी सकते हैं न ही सांस ले सकते हैं, जहां पर बाहर जाते समय लोगों को घरों में ताले लगाना पड़ते हैं और जहां महिलाओं को रोजाना परेशान किया जाता हो। वे जानते हैं कि उनके क्षेत्र में सड़क निर्माण का अर्थ है शोषणकारी शक्तियों का प्रवेश जिससे उनके पर्यावरण एवं संस्कृति दोनों को ही खतरा पैदा होगा। उन्हें इस बात का भी भान है कि वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से व्यक्तिगत भूखंड प्राप्त करने का अर्थ है व्यक्तिवाद को बढ़ावा एवं वनों की नए सिरे से कटाई। समुदाय ने मांग की है कि संपूर्ण क्षेत्र को वन कानून के अंतर्गत प्राकृतिक वास क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए और नियम राजा के नाम से इस हेतु एक ही स्वत्व (स्वामित्व) अधिकार पत्र जारी किया जाए। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह से वह विध्वंसकारी ताकतों को इलाके से बाहर रख पाने में सफल होंगे।

दुर्भाग्यवश पहले भी इस तरह के आक्रमण हो चुके हैं और इनमें से कई तो काफी कपटपूर्ण भी थे। शासन द्वारा सद्इच्छा से लेकिन पूर्णतया अव्यावहारिक कल्याण योजनाएं (डोंगरिया कौंध विकास एजेंसी जैसी संस्थाओं के माध्यम से) आदिवासियों को सभ्यता के लाभ प्रदान करने हेतु तैयार की गई हैं। यहां के बहुत कम गांवों में विद्यालय कार्यरत हैं। अतएव आदिवासी बच्चों को आश्रमशालाओं में भर्ती किया जाता है जहां पर उन्हें ओडिया भाषा में शिक्षा दी जाती है। जबकि डोंगरियां कौंध एक सर्वथा पृथक "कुई" बोली बोलते हैं। आदिवासी संस्कृति को प्रभुत्वशाली मुख्यधारा से बदला जा रहा है और उनके भीतर यह भावना घर कराई जा रही है कि आदिम आदिवासी जीवन को तुरंत प्रभाव से आधुनिक विकास से बदला जाना आवश्यक है।

कुछ ही समय पूर्व तक डोंगरिया कौंध अर्थव्यवस्था पूर्णतया गैर मुद्रा आधारित थी, क्योंकि वे वस्तु विनिमय (बार्टर) के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वनों, खेतों और नदियों से कर लेते थे। आदिवासी जो भी थोड़ा खरीदते हैं, जैसे कपड़े, नमक या कभी कभार बली प्रदान के लिए भैंसे अब अत्यंत महंगे हो गए हैं और उन्हें धन की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी है। यदि आप सुबह मुनिगुदा के कोने पर खड़े हों तो आप देखेंगे कि आदिवासी महिलाएं पैदल एवं पुरुष सायकिल पर बेचने के लिए जलाऊ लकड़ी व अन्य वन एवं कृषि उत्पाद लाते दिखे जाते हैं। चूंकि वे अपनी वस्तु वापस नहीं ले जा सकते अतएव अक्सर उन्हें अपने उत्पाद बाजार भाव से कम पर बेचकर जाना पड़ता है। भारत में आदिवासियों का बाजार से सामना उनके लिए हमेशा हानिकारक ही सिद्ध होता है।

डोंगरिया कौंध समुदाय विशेषकर आंदोलन के नेता इन मुद्दों को लेकर जागरूक हैं लेकिन उनमें इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि इन मामलों से निपटा कैसे जाए। अपने घरों की छतों पर बेतुकी लोहे की छत (टीनें) का बढ़ता प्रयोग (हालांकि दीवारें अभी भी मिट्टी की ही हैं) उनके भटकाव का संकेत है। वे इस बात की शिकायत करते हैं कि इन छतों से उनके घर गर्मियों में अत्यधिक गरम हो जाते हैं। यह पूछने पर कि उन्होंने अपनी पारंपरिक छतों को टीन की छतों से क्यों बदला? तो उनका जवाब था, क्योंकि सरकार ने लोहे की छत दी। यही उत्तर उन्होंने तब भी दिया जब उनसे पूछा कि वे सफेद चावल क्यों खाने लगे हैं जबकि उनके पास स्थानीय मोटे खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न मौजूद हैं। उन्होंने पुनः स्वीकार किया कि यह उन्हें वह मुफ्त मिल रहा है, जबकि वास्तव में उनके यहां पारंपरिक खाद्यान्नों की कमी नहीं है। हमारे इस प्रश्न का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि विनिमय के लिए धन का बढ़ता प्रयोग क्या उनके लिए समस्या खड़ी कर रहा है?

खनन विरोधी हड़ताल का एक सकारात्मक योगदान है नियमगिरी सुरक्षा समिति, जिसने सभी डोंगरिया कौंध बसाहटों को एक कर दिया है। समिति अन्य मुद्दे भी उठाती है, जैसे क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के खिलाफ कार्यवाही एवं अन्तरगांव या अन्तर कुल (गोत्र) संबंधी विवादों का निपटारा। यह एक ऐसा मंच है जो कि आदिवासियों को परेशान करने वाले मामले उठाने को हमेशा तैयार रहता है। गैर सरकारी संगठन वसुंधरा के सहयोग से वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बसाहट के अधिकार का दावा व योजना निर्माण भी एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हो सकता है। छोटी सी यात्रा के माध्यम से एवं आदान- प्रदान से हम किसी भी सूरत में उन जटिल प्रश्नों के साथ न्याय नहीं कर सकते जो कि हम पूछना चाह रहे थे। डोंगरिया कौंध द्वारा अपने अतीत और वर्तमान की समझ के साथ अपने भविष्य के निर्धारण को समझने के लिए गहरी सहानुभूति और समझ की आवश्यकता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति ऐसा तभी महसूस कर सकता है, जबकि वह वास्तव में उनका बहुत ख्याल रखता हो का वृत्तांत ताकतवर है और वह कायम रहेगा तथा प्रेरणा भी देता रहेगा, परंतु यह परिपूर्ण नहीं है। बाजार और राज्य दोनों ने प्रवेश कर लिया है, जो आज उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है और उससे छुटकारा पाना भी उनके लिए अत्यंत कठिन है। आवश्यकता इस बात की है कि डोंगरिया कौंध व नागरिक समाज तथा सरकार के बीच सुविचारित साझेदारी हो जो कि इस बात का रास्ता खोजे कि उनके सामने प्रस्तुत कठिन डगर से वे कैसे पार पाएं। साथ ही वह बकाया विश्व को इस तरह से प्रेरित व शिक्षित करते रहें कि किस तरह अंततः प्रकृति की गोद में जीवन बिताया जा सकता है।

(लेखक प्रसिद्ध पर्यावरणविद् हैं। सम्प्रति कल्पवृक्ष संस्था से जुड़े हैं।)